संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने के लिए लैण्ड एक्वीजीशन (भूमि प्राप्त करने का) ऐक्ट, 1948 {संयुक्त प्रान्त ऐक्ट नं0 26, 1948}

THE UNITED PROVINCES LAND ACQUISITION (REHABILITATION OF REFUGEES) ACT, 1948

[U. P. Act No. 26 of 1948]

{संयुक्त प्रान्त ऐक्ट संख्या 26 वर्ष 1948}

उ० प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1950² द्वारा संशोधित

एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत।

यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव असेम्बली ने दिनांक 4 मई, 1948 तथा यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव काउंसिल ने दिनांक 8 मई, 1948 को स्वीकृत प्रदान की।

इण्डिया (प्राविजनल कांस्टीट्यूशन) आर्डर, 1947 द्वारा यथानुकूलित गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की धारा 75 के अन्तर्गत गवर्नर ने दिनांक 19 मई, 1948 को स्वीकृति प्रदान की तथा दिनांक 5 जून, 1948 के यूनाइटेड प्राविन्सेज सरकारी गजट में प्रकाशित हुआ।}

एक ऐक्ट

क्योंकि यह उचित है कि पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों को बसाने के निमित्त भूमि प्राप्त करने और इस प्रकार प्राप्त की गयी भूमि का मुआवजा नियत करने के लिए कोई शीघ्रगामी विधि नियत की जाय;

इसलिए नीचे लिखा हुआ विधान बनाया जाता है :---

1— (1) इस ऐक्ट का नाम संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने के लिए भूमि प्राप्त करने का ऐक्ट, 1948 होगा। छोटा नाम, विस्तार और प्रारम्भ

- (2) यह ऐक्ट सारे {उत्तर प्रदेश} में लागू होगा।
- (3) यह तुरन्त लागू होगा।

2-- इस ऐक्ट में, जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विपरीत न हो ---

परिभाषाएं

(1) "मुआवजा अफसर" का अर्थ उस मुआवजा अफसर से है, जिसे शिज्य सरकार} ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किया हो;

- 1. उददेश्यों और कारणों के विवरण के लिए सं० प्रा० असाधारण गजट, दिनांक 23 अप्रैल, 1948 देखिये।
- 2. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए सं० प्रा० गजट, दिनांक 17 दिसम्बर, 1949 देखिये।
- 3. इस अधिनियम का विस्तार इस सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित क्षेत्रों में, स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिनियम या आर्डर के अधीन किया गया है और इसे ऐसे क्षेत्रों में, स्तम्भ 3 में उल्लिखित विज्ञप्ति, यदि कोई हो, के अधीन उस दिनांक से, जो प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के सामने स्तम्भ 4 में उल्लिखित है, प्रवृत्त किया गया है :--

| क्षेत्र | अधिनियम अथवा आदेश, जिनके अन्तर्गत विस्तार किया गया | विज्ञप्ति, यदि कोई हो, जिनके अन्तर्गत प्रभावी किया गया | तिथि, जिससे प्रभावी किया गया |
|---------------------------|---|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 जिला रामपुर | रामपुर (एप्लीकेशन आफ लाज) ऐक्ट, 1950 | | 30 दिसम्बर, 1949 |
| 2—– जिला बनारस | बनारस (एप्लीकेशन आफ लाज) ऐक्ट, 1949 | संख्या 3262(1) / 17 | 30 दिसम्बर, 1949 |
| 3—– जिला टिहरी– गढ़वाल | टिहरी गढ़वाल (एप्लीकेशन आफ लाज) ऐक्ट, 1949 | संख्या 3262(2) / 17 | तदैव |

- 4. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिए प्रतिस्थापित।
- 5. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।

धारा 3-4}

- (2) ''जिला न्यायालय'' का अर्थ प्रारम्भिक अधिकार—क्षेत्र का प्रधान दीवानी न्यायालय है और इसमें ऐसा लिखित जज भी सम्मिलित है, जिसको उस क्षेत्र में अधिकार प्राप्त हो;
- (3) ''भूमि'' में भूमि से प्राप्त होने वाले लाभ, भूमि से संलग्न वस्तुएं या ऐसी वस्तुए, जो भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी रूप से सम्बद्ध हो, सम्मिलित है;
- (4) ''हित रखने वाले व्यक्ति'' (पर्सन इन्टरेस्टेड) का वही अर्थ है जो अर्थ उसका भूमि प्राप्त करने के ऐक्ट, 1894 ईo (Land Acquisition Act, 1894) की धारा 3 में किया गया है:
- (5) ''निर्धारित'' का अर्थ इस ऐक्ट के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित से है;
 - (6) "राज्य सरकार} का अर्थ (उत्तर प्रदेश} सरकार है;
- {(7) ''शरणार्थी'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो उन प्रदेशों का निवासी रहा हो, जो अब पाकिस्तान का भाग है और जो देश के विभाजन के कारण अथवा नागरिक दंगों के कारण अथवा ऐसे दंगों के भय से उन प्रदेशों से 1 मार्च, 1947 ई0 को अथवा उसके बाद {उत्तर प्रदेश} के किसी भी भाग में चला आया हो और तब से वही रह रहा हो;} 3

3— यदि {राज्य सरकार}² के या अन्य किसी अधिकारी के विचार में, जिसे {राज्य सरकार}² इस निमित्त नियुक्त करे (जिसे आगे नियुक्त अधिकारी कहा जायगा) शरणार्थियों को फिर से बसाने के लिए घरों, दुकानों और कारखानों के निर्माण के लिए और अन्य सुख—सुविधाओं का प्रबन्ध करने के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा उचित हो तो {राज्य सरकार}² या नियुक्त अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी सूचना (नोटिस) की तामील करके, जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि {राज्य सरकार}² या नियुक्त अधिकारी ने, जैसी भी दशा हो, यह निश्चय कर लिया है कि इस धारा के अनुसार भूमि अधिकृत की जाय, आज्ञा देकर किसी भूमि को अधिकृत (Requisition) कर सकता है। {राज्य सरकार}² अथवा नियुक्त अधिकारी ऐसी अन्य आज्ञाएं भी दे सकता है, जिसमें भूमि पर कब्जा करने की आज्ञा भी सम्मिलत है, जिन्हें वह भूमि को अधिकृत करने के संबंध में उचित या आवश्यक समझे। ऐसी सूचना उस भूमि के स्वामी या अधिवासी को दी जायेगी। यदि भूमि के स्वामी या अधिवासी का आसानी से पता न लग सके अथवा उस भूमि के स्वामित्व या अधिवास करने के अधिकार पर झगड़ा हो अथवा यदि स्वामी या अधिवासी होने का अधिकार रखने वाले व्यक्तियों की संख्या ऐसी हो कि उनमें से प्रत्येक पर पृथक—पृथक ऐसी आज्ञा की तामील करना सुविधाजनक न हो, तो इस निमित्त निर्धारित ढंग से सूचना प्रकाशित करा कर ऐसा किया जा सकेगा।

4— उस दशा में जब कोई भूमि धारा 3 के अधीन अधिकृत की गयी हो {राज्य सरकार} अथवा ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जिसे इस संबंध में अधिकार दिया जाय, उसका इस प्रकार उपयोग कर सकता है, जैसा कि उसे शरणार्थियों के फिर से बसाने के लिए घरों, दुकानों और कारखानों के निर्माण के लिए तथा अन्य सुख—सुविधाओं के प्रबन्ध के लिए उचित जान पड़े।

भूमि हस्तगत करने की विधि

अधिकृत की गई भूमि का उपयोग

^{1.} एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिए प्रतिस्थापित।

^{2.} एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।

^{3.} उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1950 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा 5-7}

5— किसी ऐसी भूमि को प्राप्त करने के लिए, जिसका विवरण स्पष्ट रूप से प्रार्थना—पत्र में दिया गया हो, कोई निर्माणकर्ता शरणार्थियों को फिर से बसाने के लिए घरों, दुकानों और कारखानों के निर्माण के निमित्त और उससे संबंध रखने वाली सुख—सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए निर्धारित ढंग से (राज्य सरकार) को प्रार्थना—पत्र दे सकता है।

निर्माणकर्ता द्वारा भूमि को अधिकृत करने के लिए प्रार्थना—पत्र

6— (1) उस दशा में जब {राज्य सरकार} को किसी ऐसी जांच के उपरान्त, जिसे वह उचित समझे, इस बात का सन्तोष हो जाय कि भूमि की आवश्यकता है और शरणार्थियों के फिर से बसाने के निमित्त घर, दुकानें और कारखानें बनाने के लिए अथवा उससे संबंधित सुख—सुविधाओं की व्यवस्था के लिए वह उपयुक्त है तो {राज्य सरकार} अथवा नियुक्त अधिकारी निर्माणकर्ता को यह आदेश देगा कि वह {राज्य सरकार} के साथ एक ऐसा संविदा (मुआहिदा) करे, जिसमें नीचे लिखे विषयों के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था की जाय, जो {राज्य सरकार} को सन्तोषप्रद प्रतीत हो; अर्थात् —

किसी निर्माणकर्ता द्वारा दिए गए प्रार्थना—पत्र पर राज्य सरकार}¹ की घोषणा

- (क) भूमि प्राप्त करने के व्यय का {राज्य सरकार}¹ को भुगतान;
- (ख) इस प्रकार के भूगतान के पश्चात भूमि का निर्माणकर्ता को हस्तान्तरण;
- (ग) शर्तें, जिनके अधीन निर्माणकर्ता के पास भूमि रहेगी;
- (घ) वह समय, जिसके भीतर वे शर्ते, जिनके अधीन और वह विधि जिसके अनुसार घर, दुकान और कारखाने बनाये जायेंगे और कारखाने चलाये जायेंगे और सुख—सुविधाओं की व्यवस्था की जायगी;
- (ङ) प्राप्त की गई भूमि या उस पर बनायी गयी इमारत की बिकी, अदला—बदली या पट्टा द्वारा या किसी अन्य प्रकार से अलग करना;
- (च) पानी पहुंचाना, रोशनी का प्रबन्ध करना, पानी के निकास की अन्तर्भूत और ऊपरी नालियों का प्रबन्ध करना और गन्दगी को हटाना:
- (छ) प्राप्त किये गए क्षेत्र में घरों के आदर्श और परिणाम का निरूपण (स्टैण्डर्ड) और बाजारों और वहां के निवासियों के सार्वजनिक प्रयोग के अन्य स्थानों के लिए जगह नियत करना;
- (ज) निर्माण की गई इमारतों के साथ या उनके बिना भूमि को वापस लेना और जो परिदण्ड निर्माणकर्ता को दिया जा सकता है और वह विधि, जिसके अनुसार उसे कार्यान्वित किया जा सकता है; और
 - (झ) सब ऐसी अन्य बातों के लिए, जिन्हें {राज्य सरकार} निर्धारित करे।
- (2) ऐसा प्रत्येक संविदा (मुआहिदा) पूरा (तकमील) हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायगा और तब उसका प्रभाव वैसा ही होगा मानों वह इसी ऐक्ट का एक भाग था।

7—(1) धारा 6 में उल्लिखित संविदा (मुआहिदा) हो जाने और निर्माणकर्ता द्वारा उस रूपये के जमा किए जाने के पश्चात् जिसका {राज्य सरकार} आदेश दे, {राज्य सरकार} या नियुक्त अधिकारी गजट में इस सम्बन्ध में एक नोटिस प्रकाशित करके कि उसने ऐसी भूमि को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है, भूमि प्राप्त कर सकता है और ऐसी ऐसी अन्य आज्ञा दे सकता है, जिसमें कब्जा करने के लिए दी गयी आज्ञा भी सम्मिलित है, जिसे वह भूमि प्राप्त करने के संबंध में उचित या आवश्यक समझे।

धारा 6 के अधीन संविदा किये जाने के पश्चात् भूमि का प्राप्त किया जाना

धारा 8-10}

- (2) उपधारा (1) के अधीन नोटिस प्रकाशित किए जाने पर, प्राप्त की हुई भूमि पूर्णरूप से उस दिन के आरम्भ से, जिस दिन ऐसा नोटिस प्रकाशित किया गया हो, {राज्य सरकार} के स्वत्व में पूर्ण रूप से आ जायगी और उक्त ऐक्ट के अन्य सभी आदेश, जहां तक वे लागू हो सकते हैं, उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह भूमि अगली धारा के अधीन प्राप्त की गयी हो।
- 8—— (1) {राज्य सरकार} या नियुक्त अधिकारी धारा 3 के अधीन किसी भूमि को अधिकृत करने के विचार से या धारा 7 के अधीन प्राप्त करने या धाराएं 10 और 11 के अधीन मुआवजा निश्चित करने के लिए आज्ञा द्वारा
 - (क) किसी व्यक्ति से ऐसे अधिकारी को, जिसका आज्ञा में उल्लेख किया जाय, उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में ऐसे विवरण देने को कह सकता है, जो उसको मालू हो और जिसका उक्त आज्ञा में निर्देश कर दिया गया हो; और
 - (ख) भूमि के स्वामी या अधिवासी या उस व्यक्ति को, जिसका उस पर कब्जा हो, आदेश दे सकता है कि वह आज्ञा जारी करने वाले अधिकारी की अनुमित प्राप्त किए बिना ऐसी अवधि के समाप्त होने तक, जो आज्ञा में विनिर्दिष्ट हो, भूमि को अलग न करेगा।
- (2) उपधारा (1) द्वारा दिए गए अधिकारों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना {राज्य सरकार} द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त कोई व्यक्ति या अधिकारी इस बात को निश्चित करने के प्रयोजन से कि किसी भूमि के संबंध में धारा 3 या 7 के अधीन कोई आज्ञा जारी की जानी चाहिए अथवा नहीं और यदि की जानी चाहिए तो किस ढंग से की जानी चाहिए या उक्त धाराओं के अधीन जारी की गयी किसी आज्ञा का पालन कराने के विचार से, उक्त भूमि में प्रवेश तथा उसका निरीक्षण कर सकता है।
- 9—— (1) जब कोई भूमि धारा 3 के अधीन अधिकृत की गयी हो तो {राज्य सरकार} उसको किसी समय भी सरकारी गजट में यह सूचना प्रकाशित करके प्राप्त कर सकती है कि उसने इस धारा के आदेशों के अनुसार उसको प्राप्त करने का निश्चय किया है।

भूमि प्राप्त करना

- (2) जब उपर्युक्त ढंग से कोई सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित की जाय तो अधिकृत की हुई भूमि सब भारों से मुक्त होकर उस दिन के आरम्भ से, जिस दिन वह सूचना इस प्रकार से प्रकाशित की जाय (राज्य सरकार) के स्वत्व में पूर्णरूप से आ जायगी और उक्त भूमि के अधिकृत करने की अविध तुरन्त समाप्त हो जायगी।
- 10—— (1) जब कोई भूमि धारा 3 के अधीन अधिकृत की जाय तो इस भूमि में हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा मुआवजा दिया जायगा, जो ऐसे व्यक्ति और {राज्य सरकार} या नियुक्त किए गए अधिकारी के बीच निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में लिख कर निश्चित किया जाय :—

मुआवजा देना

- (क) ऐसी भूमि का अधिकृत किया जाना; और
- (ख) अधिकृत रहने की अविध में ऐसी भूमि को पहुंचाई हुई कोई क्षति, जिसमें वह क्षति सम्मिलित न होगी, जो किन्हीं प्राकृतिक कारणों से हुई हो।
- (2) जब ऐसा समझौता न हो सके तो {राज्य सरकार} या नियुक्त अधिकारी उस विषय को मुआवजा अफसर (कम्पेन्सेशन आफिसर) के पास मुआवजे की धनराशि की सिफारिश उसके कारणों सिहत भेज देगा और मुआवजे की माँग करने वाले व्यक्ति को भी यह आदेश देगा कि वह उक्त अधिकारी के सामने उस तारीख पर उपस्थित हो. जो निर्दिष्ट की जाय।

धारा 11-12}

- (3) उपधारा (2) के अधीन निर्णय के लिए भेजे हुए किसी विषय (रेफरेन्स) के आने पर मुआवजा अफसर नियत तारीख पर या किसी अन्य तारीख पर, जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाय, ऐसे व्यक्ति को सुनेगा और ऐसी अन्य जांच करने के बाद, जिसे वह उपयुक्त समझे, मुआवजे की धनराशि निश्चित करेगा और वह अंतिम और निर्णयात्मक होगी।
- 11— (1) जब कोई भूमि धारा 7 या 9 के अधीन प्राप्त की जाय तो ऐसा मुआवजा दिया जायगा, जिसकी धनराशि भूमि प्राप्त करने के ऐक्ट (लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 ई0) की धारा 23 की उपधारा (1) के पहले, दूसरे और तीसरे वाक्य खण्डों और उपधारा (2) में दिए गए सिद्धान्तों के आधार पर मुआवजा अफसर द्वारा निर्णीत की जायगी :

मुआवजे की धनराशि

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के वाक्यखण्ड (1) और उपधारा (2) में उल्लिखित बाजार—मूल्य वह मूल्य समझा जायगा, जो धारा 7 या 9 के अधीन, जैसी भी दशा हो, सूचना के प्रकाशित होने की तारीख या पहली सितम्बर, 1939 ई0 को और यदि इन दोनों में अन्तर हो तो इन दोनों में से, जो भी कम हो, उस भूमि का बाजार मूल्य रहा हो :

और प्रतिबन्ध यह भी है कि उस दशा में जब कि उक्त भूमि पहली अप्रैल, 1948 ई0 के पूर्व किन्तु पहली सितम्बर, 1939 ई0 के पश्चात किसी रजिस्ट्री किए हुए लेख—पत्र द्वारा की गयी खरीद या उपरोक्त तारीखों के बीच किसी हकशुफा की डिग्री के अधीन उसके स्वामी के आधिपत्य में रही हो, तो उसको वही मुआवजा दिया जायगा, जो मूल्य खरीदार ने वास्तव में चुकाया हो या जिस धनराशि के भुगतान पर उसको शुफा की डिग्री में अधिकार मिला हो, जैसी भी दशा हो।

- (2) उस दशा में, जब उपधारा (1) के अधीन मुआविजा निर्णीत किया गया हो तो मुआवजा अफसर भूमि प्राप्त करने के ऐक्ट, 1894 ईo की धारा 11 में दिए हुए सिद्धान्तों के अनुसार, जहां तक कि वे इस ऐक्ट अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के विपरीत न हों, निर्णय देगा।
- (3) उस दशा में जब किसी व्यक्ति को उपधारा (2) के अधीन दिए गए निर्णय से संतोष न हो ओर वह निर्धारित समय के भीतर न्यायालय के सामने विषय भेजने के लिए प्रार्थना—पत्र दे तो मुआवजा अफसर उक्त विषय को उस जिला न्यायाधीश में निर्णय के लिए भेज देगा, जिसका वहां अधिकार—क्षेत्र हो।
- (4) भूमि प्राप्त करने के ऐक्ट, 1894 ई0 (लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 ई0) के आदेश, जहां तक वे इस ऐक्ट के आदेशों के प्रतिकूल न हों, उपधारा (3) के अधीन जिला न्यायालय में निर्णय के लिए भेजे गए विषय पर लागू होंगे।
- 12— (1) उस दशा में जब कोई भूमि, जो धारा 3 के अधीन अधिकृत की गयी हो, प्राप्त न की जाय और उसे अधिकृत अवस्था से मुक्त करना हो तो (राज्य सरकार) या नियुक्त अधिकारी, जैसी भी दशा हो, ऐसी जांच पड़ताल के बाद, यदि कोई, की जाय, जिसे वह आवश्यक समझे, लिखित आज्ञा द्वारा उस व्यक्ति का उल्लेख कर देगा, जो उसे ऐसी भूमि पर कब्जा पाने का अधिकारी प्रतीत हो।

अधिकृत किए जाने से मक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी आज्ञा में उल्लिखित व्यक्ति को किसी ऐसी भूमि का कब्जा देने पर {राज्य सरकार}¹ उस भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति को कब्जा देने के उत्तरदायित्व से पूर्णतया मुक्त हो जायगी, यद्यपि ऐसे अन्य व्यक्ति को कब्जा पाने का अधिकार हो, किन्तु इससे उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति के किसी ऐसे अधिकार पर विपरीत प्रभाव न पड़ेगा, जो उसे उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसे भूमि का कब्जा दिया गया है, कानूनी कार्यवाही के आधार पर प्राप्त हो सके।

धारा 13-15}

- (3) उस दशा में जब कि वह व्यक्ति, जिसे धारा 3 के अधीन अधिकृत की गई भूमि का कब्जा दिया जाना हो, नहीं मिल सकता हो या उसका तुरन्त पता न चल सकता हो या उसका कोई ऐसा एजेन्ट या दूसरा व्यक्ति नहीं है, जिसे उसकी ओर से कब्जा पाने का अधिकार हो तो {राज्य सरकार} सरकारी गजट में यह नोटिस प्रकाशित कराएगी कि वह भूमि अधिकृत किए जाने (रिक्वीजीशन) से मुक्त कर दी गयी है और उस नोटिस की एक प्रतिलिपि ऐसी भूमि के किसी प्रमुख स्थान पर लगवा देगी।
- (4) उस दशा में जब उपधारा (3) में उल्लिखित नोटिस सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाय तो उस नोटिस में उल्लिखित भूमि इस प्रकार प्रकाशन की तारीख से अधिकृत अवस्था से मुक्त हो जायगी और उस भूमि के संबंध में यह समझा जायगा कि वह उस व्यक्ति को दे दी गई है जो उस पर कब्जा पाने का अधिकारी था।
- (5) उपधारा (2) या (4) के अधीन कब्जा दिए जाने के उपरान्त राज्य सरकार ऐसी भूमि के संबंध में किसी भी मुआवजे या अन्य दावों के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
- 13—— (1) इस ऐक्ट के अधीन या द्वारा दिए गए किसी भी अधिकार को काम में लाकर दी गई किसी भी आज्ञा पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जा सकेगी उसी दिशा के अतिरिक्त, जिसकी व्यवस्था इस ऐक्ट में की गई हो।

इस ऐक्ट के अधीन दी गई किसी आज्ञा के सम्बन्ध में न्यायालय कोई आपत्ति नहीं करेगा

- (2) उस दशा में जब किसी आज्ञा से यह प्रतीत हो कि वह किसी अधिकारी ने इस ऐक्ट द्वारा दिए गए किसी अधिकार को काम में लाकर दी है तथा उस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं तो कोई भी न्यायालय भारतीय साक्ष्य विधान, 1872 ई0 (इण्डियन ऐविडेन्स ऐक्ट, 1872 ई0) के अन्तर्गत यह मान लेगा कि ऐसी आज्ञा उसे अधिकारी द्वारा दी गई है।
- इस ऐक्ट के अधीन काम करने वाले व्यक्तियों की रक्षा
- 14—— (1) उस दशा के अतिरिक्त, जिसकी इस ऐक्ट में व्यवस्था की गयी हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए, जो उसने इस ऐक्ट या उसके अधीन बनाए गए नियमों या दी गयी आज्ञाओं के अनुसार सद्भावना से किया हो या करने का विचार किया हो, कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

(2) {राज्य सरकार} के विरूद्ध किसी ऐसी क्षति के लिए, जो इस ऐक्ट या इसके

15—— (1) इस ऐक्ट के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए {राज्य सरकार} ¹ नियम

होने की सम्भावना हो, कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

बना सकती है।

अधीन बनाए गए किसी नियम या दी गयी किसी आज्ञा के पालन में किसी ऐसी बात से, जो सदभावना से की गयी हो या जिसके करने का विचार हो, किसी व्यक्ति की हुई हो या जिसके

नियम बनाने का अधिकार

- (2) उपर्युक्त अधिकारी की सामान्यता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित बातों के संबंध में व्यवस्था की जा सकती है —
 - (क) मुआविजा अफसर तथा अन्य निर्धारित अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके कार्यों तथा उनके अधिकार—सीमा के संबंध में;
 - (ख) मुआविजा अफसरों के पास निर्णय के लिए भेजे गए विषयों (रिफरेन्सेज) के संचालन तथा सुनवाई के लिए तथा ऐसे अफसरों द्वारा अनुसरण की जाने वाली कार्यविधि के संबंध में:
 - (ग) ऐसे प्रार्थना-पत्र के रूप (फार्म) निर्धारित करने के लिए जिस पर निर्माणकर्ता भूमि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र देगा;
 - (घ) नोटिसों के रूप (फार्म) तथा उनके तामील किए जाने के ढंग के संबंध में;
 - (ङ) किसी और काम के लिए, जो निर्धारित होने को हो या निर्धारित किया जाय।

THE UNITED PROVINCES LAND ACQUISITION (REHABILITATION OF REFUGEES) ACT, 1948¹

[U. P. Act No. XXVI of 1948]

Amended by U. P. Act No. XVI of 1950²

Adapted and modified by the Adaptation of Laws Order, 1950

[Passed by the United Provinces Legislative Assembly on May 4, 1948, and by the United Provinces Legislative Council on May 8, 1948.

Received the assent of the Governor on May 19, 1948, under section 75 of the Government of India Act, 1935, as adapted by the India (Provisional Constitution) Order, 1947, and was published in the United Provinces Government Gazette, dated June 5. 1948.]

AN

ACT

to provide for the acquisition of land for the rehabilitation of refugees from Pakistan.

Whereas it is expedient to acquire land required for the rehabilitation of refugees from Pakistan and to prescribe an expeditious procedure for the determination of compensation to be paid on account of such acquisition;

It is hereby enacted as follows:--

Short title, extent and commencement

- 1. (1) This Act may be called the United Provinces Land Acquisition (Rehabilitation of Refugees) Act, 1948.
 - (2) It shall extend³ to the whole of [Uttar Pradesh.]⁴
 - (3) It shall come into force at once.

Definitions

- 2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context---
 - (i) "Compensation Officer" means the Compensation Officer appointed by, general or special order by the [State Government.]⁵
 - 1. For Statement of Objects and Reasons see U. P. Gazette Extraordinary, dated April 23, 1948.
 - 2. For Statement of Objects and Reasons see, U. P. Gazette, dated December 17, 1949.
 - 3. This Act has been extended to tile areas mentioned in column 1 of this table under the Act or order mentioned in column 2 and enforced in such areas under notification, if any, mentioned in column 3 with effect from the date mentioned in column 4 against each such area:

| Areas | Act or Order under which | Notification, if any, under | Date from |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| | extended | which enforced | which enforced |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rampur District | Rampur (Application of | | December 30, |
| | Laws) Act, 1950. | | 1949 |
| 2. Banaras District | Banaras (Application of | No. 3262 (1)/XVII, | November 30, |
| | Laws)Order, 1949. | dated November 30, 1949 | 1949 |
| 3. Tehri-Garhwal | Tehri-Garhwal | No. 3262 (2)/XVII, | Ditto |
| District | (Application of Laws) | dated November 30, 1949, | |
| | Order, 1949. | | |

- 4. Subs. by A.O. 1950 for (United provisions).
- 5. Subs. by A.O. 1950 for (provincial Government).

[The United Provinces Land Acquisition (Rehabilitation of Refugees) Act, 1948] [Section 3-5]

- (ii) "Court" means the principal Civil Court of original jurisdiction and includes a Civil Judge having jurisdiction in the area;
- (iii) "land" includes benefits to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth;
- (vi) "person interested" has the meaning assigned to it in section 3 of the Land Acquisition Act, 1894;
 - (v) "Prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
 - (vi) [State Government] means the Government of [Uttar Pradesh];
- [(vii) "Refugees" means any person who was a resident in any place forming part of Pakistan and who, on account of partition or civil disturbances or the fear of such disturbances, has on or after the first day of March, 1947, migrated to any place in the [Uttar Pradesh]¹ and has been since residing there;]³
- (viii) "builder" means a society registered under the Co-operative Societies Act, 1912, or the local authority and includes such other person as the [State Government]² may, by notification in the Gazette, declare in that behalf.

Procedure of requisition

3.

4.

If in the opinion of the [State Government]² or such other authority as the [State Government]² may appoint in that behalf (hereinafter called 'the appointed authority'), it is necessary or expedient so to do for the erection of houses, shops, and workshops for the rehabilitation of refugees, the [State Government]² or the appointed authority, as the case may be, may by order requisition any land by serving on the owner and occupier thereof, and, when the owner or the occupier is not ready traceable or the ownership or the right to occupation of the land is in dispute, or owing to the number of persons entitled as owner or occupier it is not reasonably convenient to serve every one of them separately, by publishing in such manner, as may be specified in that behalf, a notice stating that the [State Government]² or the appointed authority, as the case may be, has decided to requisition it in pursuance of this section and may make such further orders including an order for the taking of possession as appear to it to be necessary or expedient in connexion with the requisitioning.

Use of requisitioned land

Where any land has been requisitioned under section 3, the [State Government]² or such other person as may be authorized in that behalf may use it, in such manner as may appear to it to be expedient, for the purpose of erecting, houses, shops and workshops for the rehabilitation of refugees and for providing other amenities.

- 1. Subs. by A. 0. 1950 for (United Provinces).
- 2. Subs. by A. 0, 1950 for (provincial Government).
- 3. Subs. by section 2 of U. P. Act No. XVI of 1950.

[The United Provinces Land Acquisition (Rehabilitation of Refugees) Act, 1948] [Section 5-7]

Application for requisition by a builder

5.

A builder may, in the prescribed manner apply to the [State Government]¹ to acquire any land, as may be specified in the application, for the purpose of erecting houses, shops and workshops for the rehabilitation of refugees and for providing amenities connected therewith.

Declaration of [State Government]¹ on an application by a builder

- (1) Whenever the [State Government]¹ is satisfied after such inquiry as it may consider necessary that the land is needed and is suitable for the erection of houses, shops and workshops for the rehabilitation of refugees or for the provision of amenities directly connected therewith, the [State Government]¹ or the appointed authority, shall require the builder to enter into an agreement with the [State Government]¹ providing to the satisfaction of the [State Government]¹ for the following matters; viz:
 - (i) the payment to the [State Government] of the cost of acquisition;
 - (ii) the transfer on such payment of the land to the builder;
 - (iii) the terms on which the land shall be held by the builder;
 - (iv) the time within which the condition on which and the manner in which the houses, shops and workshops shall be erected, workshops started and amenities provided;
 - (v) the disposal by sale, exchange, lease or otherwise of the land acquired or of the building erected thereon;
 - (vi) water supply, lighting, drainage inclusive of sewerage and surface drains, and sewage disposal;
 - (vii) housing standard and location of market places and other places for common use of the residents in the area acquired;
 - (viii) resumption with or without the constructions and the penalty which may be imposed on the builder and the manner in which it may be enforced; and
 - (ix) generally for such other matters as the [State Government]¹ may prescribe.
- (2) Every such agreement shall as soon as may be after its execution, be published in the official Gazette, and shall thereupon have the same effect as if it had formed part of this Act.

Acquisition of land after execution of agreement under section 6

7.

(1) After the agreement mentioned in section 6 has been made and the builder has deposited such amount as the [State Government]¹ may direct, the [State Government]¹ or the appointed authority may acquire the land by publishing in the official Gazette a notice to the effect that it has decided to acquire such land, and may make such further order including an order for the taking of possession as appear to it to be necessary or expedient in connexion with the acquisition.

[The United Provinces Land Acquisition (Rehabilitation of Refugees) Act, 1948] [Section 8-10]

- (2) Upon the publication of notice under sub-section (1) the land acquired shall vest absolutely in the [State Government]¹ from the beginning of the day on which the notice is so published and all other provisions of the Act in so far as they are applicable shall apply as if it had been acquired under the next following section.
- 8. (1) The [State Government]¹ or the appointed authority may with a view to requisitioning any land under section 3 or acquiring it under section 7, or determining the compensation under sections 10 and 11, by order-
 - (a) require any person to furnish to such authority as may be specified in the order, such information in his possession relating to the property as may be so specified in the said order, and
 - (b) direct that the owner or the occupier or person in possession of the land shall not, without the permission of the authority making the order, dispose of it till the expiry of such period his may be specified in the order.
 - (2) Without prejudice to the powers conferred by sub-section (1), any person or authority appointed in this behalf by the [State Government]¹ may enter any land and inspect it for the purpose of determining whether, and if so in what manner, an order under section 3 or 7 should be made in relation to such land, or with a view to securing compliance with any order made under the said sections.

Acquisition of land

- 9. (1) Where any land has been requisitioned under section 3, the [State Government]¹ may at any time, acquire it by publishing in the official Gazette, a notice to the effect that it has decided, to acquire it in pursuance of this section.
 - (2) Where a notice as aforesaid is published in the official Gazette, the requisioned land shall, from the beginning of the day, on which the notice, is so published vest absolutely in the [State Government]¹ free from all encumbrances and the period of requisitioning of such land shall end forthwith.

Payment of compensation

- 10. (1) Where any land is requisitioned under section 3 there shall be paid to every person interested such compensation as may be agreed upon in writing between such person and the [State Government]¹ or the appointed authority, in respect of --
 - (a) the requisitioning of such land, and
 - (b) any damage done during the period of requisitioning to such land other than that which may have been sustained by any natural causes.
 - (2) Where no such agreement can be reached the [State Government]¹ or the appointed authority shall refer the matter, with its recommendation, as to the amount of compensation and the reasons therefor, to the Compensation, Officer and also direct the person claiming compensation to appear before such officer on such date as may be specified,

[The United Provinces Land Acquisition (Rehabilitation of Refugees) Act, 1948] [Section 11-12]

(3) Upon the receipt of any reference under sub-section (2) the Compensation Officer shall, on the date fixed or on any other date to which the hearing may be postponed, hear such person and after such further inquiry as he may deem fit, determine the amount of compensation which shall be final and conclusive.

Amount of compensation

11. (1) Whenever any land is acquired under section 7 or 9 there shall be paid compensation the amount of which shall be determined by the Compensation Officer, in accordance with the principles set out in clauses first, second and third of sub-section (1) and sub-section (2) of section 23 of the Land Acquisition Act, 1894:

Provided that the market value referred to in clause first of the said subsection shall be deemed to be the market value of such land on the date of publication of the notice under section 7 or 9 as the case may be, or on the first day of September 1939, whichever is less:

Provided further that where such land has been held by the owner thereof under a purchase made before the first day of April, 1948, but after the first day of September, 1939, by a registered document, or a decree for preemption between the aforesaid dates, the compensation shall be the price actually paid by the purchaser or the amount on payment of which he may have acquired the land in the decree for pre-emption, as the case may be.

- (2) When the compensation has been determined under sub-section (1), the Compensation Officer shall make an award in accordance with the principles, in so far as they are not in consistent with this Act or any rule made thereunder, set out in section 11 of the Land Acquisition Act, 1894.
- (3) Where any person aggrieved by an award made under sub-section (2) makes an application within the period prescribed requiring the matter to be referred to the court, the Compensation Officer, shall refer it to the decision of the District Court having jurisdiction.
- (4) The provisions of the Land Acquisition Act, 1894, shall in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, apply in respect of any reference made to the District Court under sub-section (3).

Release from requisition

- 12. (1) Where any and land requisitioned under section 3 is not acquired and is to be released from requisitioning, the [State Government]¹ or the appointed authority, as the case may be, may, after making such inquiry, if any, as it considers necessary, specify by order in writing the person who appears to it to be entitled to the possession of such land.
 - (2) The delivery of possession of such land to the person specified in the order made under sub-section (1) shall be a full discharge of any liability of the [State Government]¹ to deliver possession to such person as may have rightful claim to possession thereof but shall not prejudice any right in respect of such land which any other person may be entitled by due process of law to enforce against the person to whom possession of the land is so delivered.

[The United Provinces Land Acquisition (Rehabilitation of Refugees) Act, 1948] [Section 13-15]

- (3) Where the person to whom the possession of any land requisitioned under section 3 is to be delivered, cannot be found or is not readily traceable or has no agent or other person empowered to accept delivery on his behalf the [State Government]¹ shall publish in the official Gazette, a notice declaring that such land is released from requisitioning and shall cause a copy there of to be affixed on some conspicuous part of such land.
- (4) When a notice referred to in sub-section (3) is published in the official Gazette, the land specified in such notice shall cease to be subject to requisitioning from the date of such publication and shall be deemed to have been delivered to the person entitled to possession thereof.
- (5) Upon delivery of possession under sub-section (2) or (4), the [State Government]¹ shall not be liable for any compensation or other claims in respect of such land.

Court not to question any order passed under the Act

- 13. (1) No order made in exercise of any power conferred by or under this Act shall be called in question in any court except as provided in this Act.
 - (2) Where an order purports to have been made and signed by any authority in exercise of any power conferred under this Act, a court shall within the meaning of Indian Evidence Act, 1872, presume that such order was so made by that authority.

Protection of persons acting under the Act

- 14. (1) Except as provided in this Act, no suit or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rules or orders made thereunder.
 - (2) No suit or other legal proceeding shall lie against the [State Government]¹ for any damage caused or likely to be caused by anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made thereunder.

Rule making power

- 15. (1) The [State Government]¹ may make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.
 - (2) Without prejudice to the generality of the forgoing power, such rules may provide-
 - (a) for the appointment, functions and jurisdiction of Compensation Officers and other prescribed authorities;
 - (b) the conduct and hearing of references that may be made to Compensation Officer, and the procedure to be followed by such officer;
 - (c) the form of application to be made by builder for the acquisition of land;
 - (d) the form of notices to be given and the mode of their service;
 - (e) for any matter which is to be or may be prescribed.